(b) possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column (7). **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including short term contract), including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application.		

[F.No. A-11019/5/2014-SRA]

MAHENDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 245.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, प्रायोगिक चीनी कारख़ाना, (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 2004, जहां तक उनका संबंध फिटर समूह "घ", इलेक्ट्रिक मोटर ड्राईवर/मोटर पम्प ड्राईवर और लोहार के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में लोहार, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राईवर और फिटर "घ" के पदों भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, लोहार, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राईवर और फिटर "घ" भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि .—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या, विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. लोहार	02*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-1 (18,000 – 56,900 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है)	**आवश्यक:-** (i) मैट्रिक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण; और (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से लोहारी व्यवसाय में उत्तीर्ण किए जाने का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। टिप्पण-1 अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक अर्हता कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं

	टिप्पण: 2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा जाएगा।	है

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा** **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने की स्थिति में होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो,- (क) (i) मूल सवंर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,: और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण-:1** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है
(11)	(12)
लागू नहीं होता	**समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, शर्करा इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य

वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
2. इलेक्ट्रिक मोटर ड्राईवर	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18,000 – 56,900 रुपए)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष से बीच। **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है) **टिप्पण: 2** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक:-** (i) मैट्रिक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण; और (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय उत्तीर्ण किए जाने का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। **टिप्पण-1** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक अर्हता कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी , जो,- (क) (i) मूल सवंर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,: और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

		टिप्पण-:1 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:- 2** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)
लागू नहीं होता	**समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, शर्करा इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य

(13)
लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
3. फिटर "घ"	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-1 (18,000 – 56,900 रुपए)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष से बीच **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख होगी) **टिप्पण: 2** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख	**आवश्यक:-** (i) मैट्रिक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण; और (ii) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर व्यवसाय उत्तीर्ण किए जाने का डिप्लोमा प्रमाण पत्र। **टिप्पण-1** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक अर्हता कारणों को लेखबद्ध करके सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

	वह अंतिम तारीख होगी, जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी पर होने या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी , जो,- (क) (i) मूल सवंर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों,: और (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण-:1** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:- 2** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	(12)
लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, शर्करा इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य

(13)
लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2019-एसए]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

New Delhi, the 29th July, 2019

G.S.R. 245.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur Experimental Sugar Factory (Group 'C' and 'D' posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Fitter Group 'D', Electric Motor Driver/Motor Pump Driver and Blacksmith, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Blacksmith, Electric Motor Driver and Fitter 'D' in the National Sugar Institute, Kanpur; under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

2. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Blacksmith, Electric Motor Driver and Fitter 'D' Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Blacksmith	* 02 (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs.18000 - 56,900)

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 years and 25 years. **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	**Essential:** (i) Matriculation or equivalent pass; and (ii) Diploma certificate for having passed from the Industrial Training Institute in the trade of Black smith **Note 1**: Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the

	Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note-2.-** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges is asked to submit the names.	case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Chairperson 2. Assistant Professor of Sugar Engineering, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Electric Motor Driver.	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000 - 56,900)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 years and 25 years. **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note-2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation or equivalent pass; and ii) Diploma certificate for having passed from the Industrial Training Institute in the trade of Electrician. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Chairperson 2. Assistant Professor of Sugar Engineering., National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Fitter 'D'	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1(Rs.18000 - 56,900)

(5)	(6)	(7)
Not Applicable	Between 18 years and 25 years. **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi	**Essential:** M2. atriculation or equivalent pass (ii) Diploma certificate for having passed from the Industrial Training Institute in the trade of fitter **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

	Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.-** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges is asked to submit the names.	**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. .

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-.** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Chairperson 2. Assistant Professor of Sugar Engineering., National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable

[F.No. A-12018/1/2019-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.